इसे वेबसाईट www.gad.mp.gov.in
से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

केवल शासकीय उपयोगार्थ

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(आरक्षण प्रकोष्ठ)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी निर्देश

जनवरी, 2014

विवरणिका

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में सेवा क्र. 6.3 के रूप में शामिल किया गया है। उक्त सेवा समय–सीमा में प्रदाय की जा सकें, इस दृष्टि से जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों को शामिल करते हुए एकजाई निर्देश दिनांक 13 जनवरी, 2014 को जारी किये गये है। अतः अब जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र इन्हीं दिशा–निर्देशों के तहत जारी किये जाएं। सुविधा की दृष्टि से परिपत्र के साथ परिशिष्ट लगाये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश	–	1–11
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप	'एक'	12–13
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप	'दो'	15–17
4.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अभिस्वीकृति का प्रारूप	'तीन'	19
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	'चार' एवं 'पांच'	20–21
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवृजन संबंधी प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	'छ'	22
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	'सात' एवं 'आठ'	23–24
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवृजन संबंधी प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	नौ'	25
9.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप	'दस'	26–27
10	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के लिए घोषणा पत्र	'ग्यारह'	28
11	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के सदस्य होने का प्रमाणीकरण	'बारह'	29
12	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	'तेरह'	30
13	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड	'चौदह'	31–34
14.	अनुसूचित जातियों की सूची (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	'पन्द्रह'	35–38
15.	अनुसूचित जनजातियों की सूची (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	'सोलह'	39–42
16.	अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची (राज्य सूची)	'सत्रह'	43–48
17.	अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची (केन्द्रीय सूची)	–	49–56
18.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की सूची	'अठारह'	57–58

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक एफ 7–42/2012/आ0प्र0/एक, भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2014

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी, (अनुविभागीय अधिकारी ''राजस्व'')
समस्त जिला कलेक्टर, (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
समस्त संभागायुक्त (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
(मध्यप्रदेश)

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। (सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.3)

संदर्भः–(1) सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 01.08.1996
(2) सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12.03.1997
(3) सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 7–13/04/आ.प्र./एक, दिनांक 11.07.2005
(4) लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13/2012/61/लोसेप्र/पीएसजी–19 दिनांक 10.04.2013.

––0––

1. <u>सेवा का उद्देश्यः–</u> अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये जाति प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जाना है :–

   1.1 **<u>शैक्षणिक सुविधाओं के लिये</u>** – राज्य शासन व्दारा देय शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त करने, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश/प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने, शिक्षण तथा अन्य शुल्क की छूट और पाठ्य सामग्री प्राप्त करने आदि।

   1.2 **<u>शासकीय सेवा तथा अन्य लाभ लेने के लिये</u>** – लोक सेवा एवं पदों में आरक्षण का लाभ, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन तथा शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने आदि।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय–सीमा–** इस सेवा के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे । यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी ।

3. **आवेदन पत्र का प्रारूपः–** अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन का प्रारुप **परिशिष्ट–'एक'** पर, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए **परिशिष्ट–'दो'** पर तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट–'दस'** पर संलग्न है।

4. **<u>पात्रता की आवश्यक शर्तेः–</u>**

4.1 भारत सरकार की अधिसूचना संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 दिनांक 10 अगस्त, 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950

दिनांक 06 सितम्बर, 1950 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची (समय–समय पर किये गये संशोधन सहित) में आवेदक की जाति संबंधित प्रवर्ग में अधिसूचित हो।

4.2 आवेदक/उसका परिवार कंडिका–4.1 में उल्लेखित जातियों की अधिसूचना जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व से मध्यप्रदेश राज्य में निवास करता हो।

4.3 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 (समय–समय पर किये गये संशोधन सहित) में आवेदक की जाति शामिल हो।

4.4 अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में आवेदक का परिवार क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता हो।

4.5 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की शासन द्वारा जारी सूची में आवेदक की जाति शामिल हो।

5. **<u>निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज–</u>**

5.1 आवेदक को उपरोक्त कंडिका–3 में उल्लेखित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पास उपलब्ध ऐसे दस्तावेज संलग्न करना होगें जिससे–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में उनकी जाति तथा आवेदक/उसका परिवार की वर्ष 1950 या उससे पूर्व म.प्र. में निवास की पुष्टि होती हो ।

अथवा

अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में उसकी जाति तथा वर्ष 1984 की स्थिति में या उसके पूर्व म.प्र. में निवास की पुष्टि होती हो।

5.2 मध्यप्रदेश में निवास एवं जाति की पुष्टि करने के लिये निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जा सकते हैं :–

(i) **जाति की पुष्टि हेतु–**

परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा /भाई/बहिन) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/ मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो।

अथवा

परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहिन या दादा) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

(ii) **परिवार की वर्ष 1950 में निवास की पुष्टि हेतु दस्तावेज (जो उपलब्ध हो)**
शिक्षा/शासकीय सेवा/मतदाता परिचय पत्र/परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई/बहिन) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति ।

(iii) स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति ।

(iv) जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र ।

5.3 आवेदक जिनके पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गो के लिये 1984) में मध्यप्रदेश में निवास संबंधी दस्तावेज नहीं हैः–

ऐसे आवेदकों से जिनके पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984) या उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, तो उसे यह लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु विवश न किया जाए । राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर/कैम्प में, जांच कर आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करना चाहिये । इसके लिये आवेदक/संबंधित सरपंच/पार्षद/उस ग्राम, मोहल्ले के संभ्रान्त व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये जाना चाहिये और स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करना चाहिये ।

6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका–5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा ।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "तीन"** में दी जावेगी ।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय–सीमा का उल्लेख नही किया जावेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा ।

6.4 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एस.एम.एस. से अलर्ट किया जा सके ।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम, 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में संलग्न प्रपत्र–5 में किया जायेगा । एक ही आवेदन का पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा ।

6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय–सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी ।

7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

7.1 आवेदन पत्र सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं सॉफ्टवेयर में कंडिका–5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के

साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा ।

7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे ।

7.3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह **हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा** अगले माह की एक तारीख अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर विशेष वाहक के माध्यम से **प्राप्त किया जाएगा ।**

7.4 ऑन लाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी । पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी । अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा । आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी ।

7.5 लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा ।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका–8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

7.7 सेवा प्रदाय करने के लिये सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण–पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है । लोक सेवा केन्द्र संचालक पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी प्रमाण–पत्र को सॉफ्टवेयर से प्रिन्टआउट निकालकर आवेदक को उपलब्ध करायेगा ।

7.8 यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से स्थाई जाति प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना ऑनलाईन आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा ।

7.9 लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन डिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं प्रमाण–पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा–

"प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है ।"

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया–

8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका–6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका–7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे ।

8.3 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को **5 कार्यालयीन दिवस** के अंदर जांच हेतु प्रेषित किया जावेगा ।

8.4 संबंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच/सत्यापन तथा आवश्यक होने पर कंडिका–5.3 में उल्लेखानुसार स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अधिकतम 15 दिवस के अंदर पदाभिहित अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) को प्रस्तुत करेगा ।

8.5 संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी तथा अधिकतम **10 दिवस** के अंदर स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । सम्पूर्ण कार्यवाही अधिसूचना में सेवा प्रदान के लिए निर्धारित समय सीमा 30 कार्य दिवस के अन्दर पूर्ण की जाएगी ।

8.6 यदि जाति सत्यापन अन्य जिले अथवा अन्य राज्य से कराया जाता है तो एक माह की अतिरिक्त समय–सीमा अर्थात् दो माह की समय–सीमा के अंदर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

8.7 स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही जारी किये जाएंगे । जाति प्रमाण पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर नहीं होंगे। डिजीटली साईन्ड जाति प्रमाण पत्र की डिपाजिटरी बनायी जायेगी, जिसमें जारी होने वाले समस्त जाति प्रमाण पत्र संधारित किये जायेंगें ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–**'चार'**, **'पांच'** एवं **'छः'** पर तथा अन्य पिछड़े वर्ग वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–**'सात'**, **'आठ' एवं 'नौ'** पर संलग्न है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये परिशिष्ट–**'चार' एवं 'पांच'** तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये **परिशिष्ट–'आठ' एवं 'नौ'** में एक साथ जारी किये जायेंगे और यह दोनों जाति प्रमाण पत्र उत्तम क्वालिटी के पेपर पर लेमिनेटेड करवाकर प्रदाय किया जाएगा।

8.8 राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आवेदक स्थाई जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किये जाएंगे। यह कार्यवाही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित अधिकतम समय–सीमा एक माह के अंदर ही संपादित की जाएगी।

8.9 जाति प्रमाण पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी । जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जायेगा और उन पर डिजीटल हस्ताक्षर किया जाएगा । इस तरह जारी होने वाले समस्त जाति प्रमाण पत्र की एक डिजीटल डिपोजिटरी वेबसाईट पर संधारित की जायेगी ताकि शंका होने पर प्रमाण पत्र की पुष्टि की जा सके ।

8.10 यदि जाति प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी होना पाया जाता है तो आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी । यदि इसमें जारी करने वाले अधिकारी की लापरवाही/दुर्भावना पाई जाती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतः अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने में पूर्ण सावधानी बरती जाएं ।

8.11 अन्तर्राज्यीय प्रवृजन संबंधी प्रकरणों मे जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था–

(i) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति/परिवार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद–341 एवं 342 के तहत जातियों की अधिसूचना जारी होने के वर्ष 1950 के बाद तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति/परिवार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 जारी होने के बाद किसी अन्य राज्य से प्रवृजित होकर मध्यप्रदेश में आया है, तो उसे/उसकी संतान को मध्यप्रदेश अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये जाति प्रमाण पत्र पृथक प्रारूप–तीन (जो **परिशिष्ट–'छः'** पर है) में जारी किया जाएगा ।

(ii). पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऐसे जाति प्रमाण पत्र आवश्यक जांच उपरांत पूर्ण सावधानी के साथ ही जारी किया जावेगा और आवश्यक समझे तो उसके मूल राज्य से इसकी जांच भी कराई जा सकेगी ।

(iii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश No. BC-16014/1/82-SC&BCD-1 दिनांक 6 अगस्त, 1984 के अनुसार प्रारूप–तीन में जारी जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण की सुविधा उसी राज्य से प्राप्त होगी, जिस राज्य से आवेदक का मूल रूप से संबंध है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण सुविधा की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यह जाति प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार की सेवाओं/संस्थाओं आदि में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये मान्य होंगे ।

(iv) राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य के निवासरत् अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर रिट याचिका 5664/05 (पी.आई.एल.) में पारित आदेश दिनांक 07.10.2006 के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 27 जून, 2011 द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश के अंतर्गत मूलतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंध रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के लागू होने के पूर्व से पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थाई रूप से बस गये हैं और वर्तमान में निरंतर मध्यप्रदेश राज्य में निवासरत् है तथा उनकी जाति मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित है, को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिस प्रकार मूलतः मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं।

(v) उक्त कंडिका 8.11 (iv) में दर्शाये गये अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय समस्त पदाभिहित अधिकारी प्रत्येक आवेदक के स्थाई निवास के संबंध में गुण–दोष के आधार पर परीक्षण करें।

(vi) इस सेवा को प्राप्त करने के लिये कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है । लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क केवल रू. 30/– जमा करना होगा । इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग (अनुसूचित जाति कल्याण, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग) द्वारा किया जाएगा । अतः लोक सेवा केन्द्र उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों के निराकरण संबंधी प्रवर्गवार जानकारी देते हुए जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर सकेंगे।

(vii) संबंधित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले स्थाई जाति प्रमाण पत्रों की दिनांकवार सूची तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की पृथक सूची संबंधित कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी ।

9. छात्र–छात्राओं के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था। (कक्षा 1 से 12 तक)

9.1 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रदाय करने के निर्देश जारी किये गये है। अब यह व्यवस्था कक्षा 1 से 12 तक के छात्र–छात्राओं के लिए लागू होगी।

9.2 इस वर्ष शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर (01 जुलाई से) कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले तथा कक्षा 12वीं तक समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के छात्र–छात्राओं से जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 15 जुलाई, 2014 से 31 अगस्त, 2014 के मध्य प्राप्त किये जाएंगे। वर्ष 2015 में केवल कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले समस्त एवं बाद की कक्षाओं के केवल उन छात्रों से ही आवेदन लिये जाएंगे, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है।

9.3 कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बहुत बडी संख्या होगी। अतः जिला कलेक्टर सुव्यवस्थित योजना बनाएंगे, जिसके तहत लोक सेवा केन्द्र संचालक एवं जिले के नागरिक सुविधा केन्द्र के संचालकों की सहायता से आवश्यकतानुसार 10 से 15 ऑपरेटर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जो एक समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार जिले की प्रत्येक शाला का भ्रमण कर छात्र/ छात्राएं या उनके पालक/अभिभावकों से जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त करेंगे और उन्हें ऑनलाईन दर्ज करेंगे। ध्यान रखा जाए कि ऑपेरटर की संख्या इस तरह निर्धारित हो कि प्रत्येक ऑपरेटर को प्रतिदिन लगभग 50 से अधिक आवेदन दर्ज न करना पड़े। प्रत्येक ऑपरेटर के पास कम्प्यूटर इंटरनेट एवं दस्तावेजों को स्केन करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऑपरेटर प्रत्येक शाला में कम से कम दो बार भ्रमण करें। यदि कोई छात्र/छात्राएं या उनके पालक/अभिभावक ऑपरेटर के दो बार भ्रमण के दौरान आवेदन प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाता है तो ऐसे आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पृथक से विकासखंड मुख्यालय पर तिथि निर्धारित की जाए।

9.4 लोक सेवा केन्द्र के प्रतिनिधि स्कूलों में कंडिका 9.3 अनुसार निर्धारित तिथियों को शिविर लगाकर उक्त कंडिका 9.2 के अंतर्गत आने वाले छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावकों से समक्ष में जानकारी लेकर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में चाही गई जानकारी के अनुसार कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे। इस संबंध में कंडिका 7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

9.5 आवेदक/पालक/अभिभावक को संलग्न निर्धारित प्रारूप में घोषणा–पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगा। यही स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र मान्य किया जायेगा। इसे पृथक से नोटराईज करने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी की सत्यता के लिए घोषणाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा और जानकारी के असत्य पाये जाने पर वह दण्ड का भागीदार होगा।

9.6 लोक सेवा केन्द्रों के प्रतिनिधि अन्य दस्तावेज के साथ घोषणा पत्र भी स्केन्ड कर अपलोड करेंगे।

9.7 लोक सेवा केन्द्रों के शिविर आयोजन की तिथि के संबंध में पार्षद/सरपंच/स्कूलों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को तीन दिवस पूर्व सूचना दी जाएगी और संबंधित स्कूलों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक संबंधित छात्र–छात्राओं के साथ उनके पालक/अभिभावकों के लिए उक्त तिथि पर उपस्थित होने की लिखित सूचना भेजेंगे, साथ ही पार्षद/सरपंच/द्वारा कोटवारों से मुनादी अथवा अन्य माध्यमों से भी पालक/अभिभावकों को पूर्व सूचना दी जाएगी।

9.8 ऐसे आवेदनों पर इस परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे । डिजिटल रिपोजेटरी से जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उसकी एक प्रति लेमिनेटेड कराकर स्कूलों के माध्यम से ही वितरित की जाएगी। यह कार्यवाही समयबद्ध कार्ययोना बनाकर 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरी की जाएगी।

9.9 लोक सेवा केन्द्र के शुल्क एवं लेमिनेशन पर होने वाला व्यय कंडिका 8.11 (vi) अनुसार संबंधित विभाग (अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) द्वारा वहन किया जाएगा।

9.10 एक बार जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति के जीवन भर के लिए उपयोगी होगा और किसी भी प्रयोजन के लिए उसकी स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति संलग्न की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनुपलब्धता (गुम हो जाने आदि) की स्थिति में क्योस्क या वेबसाईट से जाति प्रमाण पत्र की प्रति डाउनलोड की जा सकेगी, जो मान्य होगी।

10. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था—

10.1 आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12—61/2007/4/पच्चीस दिनांक 16.07.2010 द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किये गये है, जिसमें सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग को इन जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त निर्देशों को निरस्त किया जाता है। अब इन जातियों के भी जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किये जाएंगे। इसकी प्रक्रिया वहीं होगी जो इस परिपत्र में दी गई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दी गई है।

10.2 इन जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट—'दस'** पर, घोषणा पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट—'ग्यारह'** पर, पार्षद/सरपंच/पटवारी को प्रमाणीकरण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट—'बारह'** पर एवं जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट—'तेरह'** पर संलग्न है। क्रीमीलेयर के मापदण्ड **परिशिष्ट—'चौदह'** पर संलग्न है।

10.3 इन जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक को सिर्फ उनकी जातियों की पुष्टि करना होगा। साथ ही वह वर्तमान में मध्यप्रदेश में निवासरत् होना चाहिए।

10.4 इन जातियों की पुष्टि के लिए आवेदक को उसके परिवार में किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा) को पूर्व में जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय—अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल संपत्ति (भू—अभिलेख) का रिकार्ड (जो उपलब्ध हो) वह संलग्न करना चाहिए। इनमें से उतना ही रिकार्ड पर्याप्त होगा, जिससे उसकी जाति की पुष्टि हो जाए। सभी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

11. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण—

(1) परिपत्र क्रमांक एफ 7—13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 16 जुलाई, 2008
(2) परिपत्र क्रमांक एफ 7—13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 18 फरवरी, 2009 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

12. मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची **परिशिष्ट—'पन्द्रह'** पर, अनुसूचित जनजातियों की सूची **परिशिष्ट—'सोलह'** पर, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची **परिशिष्ट—'सत्रह'** पर तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की सूची **परिशिष्ट—'अठारह'** पर संलग्न है।

13. <u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु—</u>

(1) अब जारी होने वाले सभी जाति प्रमाण पत्र एन.आई.सी. द्वारा तैयार किये गये पोर्टल (वेबसाईट) पर उपलब्ध रहेंगे।

अतः कोई भी आवेदक उसके परिवार के किसी सदस्य (दादा/पिता/चाचा/भाई/ बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करता है तो उसकी संबंधित वेबसाईट पर पुष्टि कर आवेदक को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। पृथक से उसकी विस्तृत छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके परिवार के संबंध में एक बार छानबीन कर जाति एवं निवास की पुष्टि की जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01.08.1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्रों को भी उक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

(2) पदाभिहित अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जारी किये जाएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप पृथक–पृथक निर्धारित है । ये प्रारूप निम्नांकित तीन प्रकार के हैं :–

(i) राज्य शासन के अधीन आरक्षण/सुविधाओं के लिए **"प्रारूप–एक"**

(ii) केंद्रीय सरकार के आरक्षण/सुविधाओं के लिए **"प्रारूप–दो"**

(iii) प्रवर्जन संबंधी आवेदकों के लिए **"प्रारूप–तीन"**

नोटः– **(अ)** प्रारूप–तीन में जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र पर केन्द्र सरकार का आरक्षण/सुविधाएं प्राप्त होगीं। यह प्रमाण पत्र पर राज्य शासन के आरक्षण/सुविधाओं के लिए मान्य नहीं होगा)

(ब) **"प्रारूप–एक"** एवं **"प्रारूप–दो"** के जाति प्रमाण पत्र एक साथ उत्तम क्वालिटी के पेपर पर जारी किये जाएंगे।

14. **अपील**–आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :–

(i) आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

(ii) आवेदक आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–

14.1 **प्रथम अपील**–जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी द्वारा किसी भी आदेश की प्रथम अपील जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर को होगी जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

14.2 **द्वितीय अपील**–कंडिका–14 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त, राजस्व के न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
म0प्र0 शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 7—42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
14. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52—ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद—500082।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट –'एक'

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र
(अवयस्क की स्थिति में आवेदन पत्र माता/पिता/पालक की ओर से प्रस्तुत किया जाय)

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग .....,
जिला.....(म0प्र0)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने/राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी जा रही सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है । इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है :–

1. (अ) आवेदक का पूरा नाम .....
   (ब) आवेदक के पिता का पूरा नाम .....
2. (अ) आवेदक की जाति/उपजाति .....
   (ब) सरनेम .....

(स) उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से संबंध जिसके लिये प्रमाण–पत्र मांगा जा रहा है (उसका नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि)
नाम :.....
पिता का नाम :.....
जन्म तिथि :.....
जन्म स्थान/जिला/प्रदेश.....
आवेदक से संबंध .....

3. निवास का पूरा पता :
   (ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील, जिला सहित)
   (अ) वर्तमान पता : .....
   .....
   (ब) स्थाई पता : .....
   .....
4. आवेदक/आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है ? .....

5. यदि राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने के वर्ष 1950 के बाद अन्य राज्य से प्रवृजन कर आया है ता उसका विवरण –
   (अ) मध्यप्रदेश में आने के पूर्व में निवास का पूरा पता. राज्य.....
   (ब) माता/पिता को जाति प्रमाण पत्र कहॉ से जारी हुआ है .....
   (प्रति संलग्न करें)
6. क्या इस आवेदन के प्रस्तुती के पूर्व परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहिन/ दादा के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? यदि हॉ तो उसका विवरण एवं फोटो प्रति संलग्न करें ।)
   नाम :.....
   जारी करने वाले कार्यालय का नाम .....
   जिले का नाम .....
   जारी करने का दिनांक.....
7. आवेदक द्वारा अपनी जाति तथा निवास संबंधी प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का विवरण :.....

8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये घोषणा पत्र का दिनांक : .....

टीपः– (1) जाति तथा निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच/पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष/विधायक/सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा का जाति प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें ।

(2) आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं । यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

(3) आरक्षण संबंधी सुविधा के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है । अतः सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को अपने बच्चों का कक्षा–10 वीं के पूर्व स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ । मैं भली भाँति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के कमांक (2) में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहँगा ।

स्थान.....

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

तथा नाम पता एवं फोन नं.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के लिए

घोषणा पत्र

(अव्यवस्क की स्थिति में माता/पिता/पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

1. नाम (जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है) :.....
2. पिता का नाम :.....
3. आयु :.....
4. जाति/उपजाति :.....
5. सरनेम :.....
6. धर्म :.....
7. व्यवसाय :.....
8. पता :.....

मैं शपथपूर्वक कथन/घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) मैं यह शपथ पत्र घोषण पत्र स्वयं के / अपने पुत्र/पुत्री.....(नाम) के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

(2) मै भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला..... (मध्य प्रदेश) के लिए घोषित .....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ ।

(3) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार 1950 से मध्यप्रदेश में निवासरत है, किन्तु वर्ष 1950 की स्थिति में निवास संबंधी लिखित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि हेतु मैं पार्षद/सरपंच का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूं, जिसकी पुष्टि कराई जा सकती है।

(सिर्फ वह आवेदक (√) करें जिनके पास 1950 से निवास का लिखित रिकार्ड नहीं है। साथ ही पार्षद/सरपंच का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

(4) मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है । मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

स्थान.....

दिनांक..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –'दो'

अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र

(अवयस्क की स्थिति में आवेदन पत्र माता/पिता/पालक की ओर से प्रस्तुत किया जाय)

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग ....
जिला..(म0प्र0)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवाओं मे अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण/शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है । इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत हैः–

1. (अ) आवेदक का पूरा नाम ....
   (ब) आवेदक के पिता का पूरा नाम ....

....

2. उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से संबंध जिसके लिये प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है।
   नाम :..
   पिता का नाम :..
   जन्म तिथि :..
   आवेदक से संबंध ....

3. धर्म ....
4. जाति एवं उप जाति ....
5. सरनेम ....
6. निवास का पूरा पता :
   (ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील, जिला सहित)
   (अ) वर्तमान पता : ....
   ....
   (ब) स्थाई पता : ....
   ....
7. आवेदक/आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है ? ....

8. यदि उक्त कॉलम नं0 –6 में उल्लेखित तिथि अधिसूचना कमांक एफ. 8–7–पच्चीस–4–84 दिनांक 26–12–1984 जारी होने के बाद की है तो :–
   (अ) मध्यप्रदेश में आने के पूर्व कि स्थिति में निवास का पूरा पता. ....
   (ब) माता/पिता को जाति प्रमाण पत्र कहॉ से जारी हुआ है ....
   (स) यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान परिवर्तन किया है तो कहॉ–कहॉ रहे उसका पता एवं अवधि ....

9. राज्य शासन द्वारा घोषित की गई अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में जाति/उपजाति/वर्ग समूह का कमांक, (यदि ज्ञात हो तो)

10. व्यवसाय माता, पिता/पति यदि निम्नांकित में से कोई पद धारण करते हो तो जानकारी दी जाएः–

	स्थिति	माता	पिता/पति
क.	संवैधानिक पद		
	पदनाम		
ख.	शासकीय सेवा (केन्द्र/राज्य)		
	पदनाम		
	वेतनमान (पद की श्रेणी सहित, यदि हो)		
	पद पर नियुक्ति का दिनांक		
	प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के समय आयु		
ग	सार्वजनिक उपकर्मों आदि में सेवा		
	संगठन का नाम		
	पदनाम/श्रेणी		
	वेतनमान		
	पद में नियुक्ति की तिथि		
घ	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं यूनीसेफ आदि की सेवा		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा अवधि (तिथि अंकित करें दिनांक ... .से.....तक)		
ड.	मृत्यु/स्थायी अक्षमता		
	अधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने से सेवा से हटने की तिथि		
	स्थायी अयोग्यता का विवरण		
च.	सशस्त्र सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बल (इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो सिविल पद धारण करते हों)		
	पदनाम		
	वेतनमान		

11. यदि व्यापार/उद्योग/व्यावसाय या अशासकीय सेवा करते हों तो उसका विवरण :–

(क) स्वयं का व्यवसाय (यदि वयस्क है तो) .....आय.....

(ख) माता का व्यवसाय .....आय.....

(ग) पिता/पति का व्यवसाय .....आय.....

12. सम्पत्ति का स्वामी –

(अ) कृषि भूमि (माता, पिता एवं अवयस्क बच्चों के) स्वामित्व में

(i) सिंचित भूमि का क्षेत्र .....स्थान.....

(ii) असिंचित भूमि का क्षेत्र .....स्थान.....

(iii) वृक्षारोपण का क्षेत्र .....स्थान.....

(उपरोक्त को राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, जो तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न हो)

(ब) शहरी क्षेत्र में अथवा शहरी जमाव (**Urban agglemeration**) में भवन सम्पत्ति अथवा रिक्त भू–खण्ड–

(i) सम्पत्ति का स्थान.....

(ii) सम्पत्ति का विवरण .....

(iii) सम्पत्ति के उपयोग का प्रयोजन .....

13. आय/सम्पत्ति (Income/wealth) –

(i) सभी स्त्रातों से परिवार की वार्षिक आय:.....
(कृषि वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर)

(ii) क्या आवेदक करदाता है ? (हॉ/नही,):.....
(यदि हॉ तो गत तीन वर्षों की आय कर
विवरण की प्रति संलग्न की जाए)

(iii) क्या आवेदक पर सम्पत्ति कर अधिनियम के
प्रावधान लागू होते हैं ? (हॉ/नही) :.....
(यदि हो तो विवरण देवें)

(iv) अन्य कोई विवरण :.....

टीपः– (1) जाति तथा निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच/पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष/विधायक/सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा का जाति प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/ अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलबध हो तो संलग्न करें । अन्यथा राजस्व अधिकारी पंचायत/वार्ड रिकार्ड से पुष्टि करें।

(2) आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चत करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं । यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है एवं मैं अन्य पिछड़े वर्ग में "कीमीलेयर" (सम्पन्न वर्ग) की परिधि में नहीं आता हूँ और इस प्रकार अन्य पिछड़ वर्ग के लिये आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ । मैं भली–भॉति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के कमांक (2) में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा ।

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
नाम, पता तथा फोन नं.

अन्य पिछड़े वर्गों के प्रमाण पत्र के लिये

घोषणा पत्र

(अवयस्क की स्थिति में माता/पिता/पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाय)

1.	नाम (जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है)	:.....
2	पिता का नाम	:.....
3.	आयु	:.....
4.	जाति/उपजाति	:.....
5.	सरनेम	:.....
6.	धर्म	:.....
7.	व्यवसाय	:.....
8.	पता	:.....

मैं शपथपूर्वक कथन/घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) मैं यह शपथ पत्र घोषण पत्र स्वयं के / अपने पुत्र/पुत्री.....(नाम) के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

(2) मै भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) के अन्तर्गत जिला.....(मध्य प्रदेश) के लिए घोषित .....पिछड़ा वर्ग जाति का सदस्य हूँ।

(3) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार 1984 से मध्यप्रदेश में निवासरत है, किन्तु वर्ष 1984 की स्थिति में निवास संबंधी लिखित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि हेतु मैं पार्षद/सरपंच का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूं, जिसकी पुष्टि कराई जा सकती है।

(सिर्फ वह आवेदक (√) करें जिनके पास 1984 से निवास का लिखित रिकार्ड नहीं है। साथ ही पार्षद/सरपंच का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

(4) मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है । मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

स्थान.....

दिनांक.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट —'तीन'

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता .....

1. आवेदक का नाम एवं पता .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. जाति वर्ग का उल्लेख जिसके आवेदन किया गया .....

4. संलग्न दस्तावेजों की सूची .....

5. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक .....

6. निश्चित की गई समय–सीमा की अंतिम तिथि .....

स्थान–

दिनांक–

प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम.....

परिशिष्ट –'चार'

प्रारूप– 'एक'

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक .....प्रमाण पत्र कमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता श्री..... .....एवं माता श्रीमती ..... निवासी ग्राम/नगर..... .....तहसील.....जिला..... .....(मध्यप्रदेश) .....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुकमांक .....पर अंकित है । अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... .....पिता श्री .....एवं माता श्रीमती ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की सदस्य है ।

स्केन्ड सील

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)
नाम.....
पदनाम.....

स्थान.....
दिनांक.....
आधार नंबर –
SSSM नंबर –

नोट :- पंजीयन क्रमांक ----------द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट का सत्यापन वेबसाईट http://lokseva.gov.in अथवा http://mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है ।

परिशिष्ट—'पांच'

प्रारूप—'दो'

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES CANDIDATES

1. 'This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ..... son/daughter* of .....of village/town* ..... District/Division* ..... of the State/Union Territory* ..... belongs to the .....Scheduled caste/Scheduled tribe* under :-

* The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. * The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. * The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951. * The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951. (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002)* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956; * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976; * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967; * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; * The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989; * The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990; * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991. * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 1991; * The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002. * The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002. * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

2. #This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate* issued to Shri/Shrimati* ..... father/mother of Shri/Shrimati/Kumari* ..... of Village/town* ..... in District/Division* ..... of the State/Union Territory* ..... who belong to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory ..... Issued by the ..... dated .....

3. Shri/Shrimati/Kumari* ..... and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* ..... of..... District/Division* of the State/Union Territory* of .....**

Signature .....

****Designation .....**

(With Seal of Office)

Place : ..... State/Union Territory* .....

Date: .....

***Please delete the word(s) which are not applicable.**

#Applicable in the case of SC/ST Persons who have migrated from anoter State/UT

IMPORTANT NOTE:

The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.**

Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

(i)District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/city Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

(ii)Chief Persidency Magisrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii)Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv)Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v)Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshdweep Island).

(vi)Certificate issued by any other authority wil be rejected.

Note : Certificate issued by Registration Number ..... can be verified from Website http://lokseva.gov.in OR http://mpedistrict.gov.in

परिशिष्ट —'छः'

प्रारूप—''तीन''

अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में प्रवृजन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश राज्य के लिये मान्य नही)

अनुक्रमांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी ग्राम/शहर..............................जिला.........................राज्य/संघक्षेत्र...........................की निवासी होकर सरल कमांक..........................पर उल्लेखित जाति.................................की/के सदस्य है / यह जाति निम्नलिखित आदेशों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है :—

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघक्षेत्र) आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुम्बई, रिंआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1969, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित
- संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1996.
- अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2/ यह प्रमाण पत्र ....द्वारा (सक्षम अधिकारी का नाम) श्री/श्रीमती/कुमारी....................... ....पुत्र/पुत्री श्री...ग्राम/शहर..................................जिला.................................... राज्य/संघक्षेत्र..को कमांक.................................दिनांक.........................द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार..........................राज्य/संघक्षेत्र में इनकी जाति............ ....कमांक..पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य है ।

राज्य—मध्यप्रदेश

स्केन्ड सील

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)
नाम..
पदनाम..

स्थान......................................
दिनांक....................................
आधार नंबर —
SSSM नंबर —
नोटः—

- यह प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण/सुविधाओं के लिये मान्य नहीं है ।
- पंजीयन क्रमांक ------------- द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट का सत्यापन वेबसाईट http://lokseva.gov.in अथवा http://mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है ।

परिशिष्ट –'सात'

प्रारूप– 'एक'

(अन्य पिछड़े वर्गों के प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक कमांक.....

प्रकरण कमांक.....प्रमाण पत्र कमांक.....

स्थाई जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता श्री.....एवं माता श्रीमती .....निवासी ग्राम/शहर.....तहसील.....जिला.....मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 2 अप्रेल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है, जो सूची के कमांक.....पर अंकित है ।

श्री.....और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला.....संभाग.....मे निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....कीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञान कमांक एफ 7–26–93–1–आ0प्र0, दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....हैं.

स्केन्ड सील

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)
नाम.....
पदनाम.....

स्थान.....
दिनांक.....
आधार नंबर–
SSSM नंबर–

नोट :- पंजीयन क्रमांक ---------- द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट का सत्यापन वेबसाईट http://lokseva.gov.in अथवा http://mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है ।

परिशिष्ट —'आठ'

प्रारूप—'दो'

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNEMENT OF INDIA

'This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ..... son/daughter* of Shri/Smt*.....of village/town* ..... District/Division* .....in the ..... State belongs to the .....

* the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
* the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
* the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
* the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

Community which is recognized as a backward class under:
(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93 (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94 (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95 (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96 (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 06/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96 (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97 (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97 (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99 (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99 (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000 (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000 (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001 (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003 (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004 (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006 (xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67 dated 12/03/2007 (xvii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010 (xviii) Resolution No. 12015/15/2008-BCC dated 16/06/2011 (xix) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011

Shri/Smt/kum.....and/or his family ordinarily reside(s) in the .....District/Division of .....State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India. Department of Personnel & Training O.M. No. 6012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:
District Magistrat/
Deputy Commissioner/
Competent Authority
Seal

*** Please delete the word(s) which are not applicable.**
NOTE:
(a) The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:
(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate)
(ii) Chief Persidency Magisrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar and
(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Note : The Certificate issued by Registration Number ..... can be verified from Website http://lokseva.gov.in OR http://mpedistrict.gov.in

परिशिष्ट–'नौ'

प्रारूप–''तीन''

अन्य राज्यों से प्रवृजन कर मध्यप्रदेश में आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश राज्य के लिये मान्य नहीं)

अनुक्रमांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी ग्राम/शहर ..... तहसील .....जिला .....प्रदेश/संघ क्षेत्र ..... का/की निवासी होकर सरल क्रमांक .....पर उल्लेखित जाति ..... का/की सदस्य है, जो निम्नलिखित आदेशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है :–

- भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 खण्ड–1 सं. 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93 बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993.
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 सं. 163, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94–बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 सं. 88, दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95–बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210, दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96–बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर, 1996.
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 129, दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 164, दिनांक 1 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/11/12/96–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 236, दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 239, दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 166, दिनांक 3 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 171, दिनांक 6 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 241, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 270, दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 71, दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12015/9/2000–बीसीसी दिनांक 06.09.2001
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/1/2001–बीसीसी दिनांक 19.06.2003
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/4/2002–बीसीसी दिनांक 13.01.2004
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210, दिनांक 16 जनवरी, 2006 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/2004–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र सं. 67, दिनांक 12 मार्च, 2007 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/14/2004–बीसीसी
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12015/2/2007–बीसीसी दिनांक 18.08.2010
- भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 12015/13/2010–बीसीसी दिनांक 08.12.2011

2/ यह प्रमाण पत्र ..... द्वारा (सक्षम अधिकारी का नाम) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री.....ग्राम/शहर.....जिला .....राजय/संघ क्षेत्र ..... को क्रमांक ..... दिनांक .....द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार ....राज्य/संघ क्षेत्र में इनकी जाति.....क्रमांक .....पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित है।

3/ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था, (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लेखित क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

राज्य–मध्यप्रदेश

स्केन्ड सील

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)
नाम.....
पदनाम.....

स्थान.....
दिनांक.....
आधार नंबर –
SSSM नंबर –

नोट:–

- यह प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण/सुविधाओं के लिये मान्य नहीं है।
- पंजीयन क्रमांक ---------- द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट का सत्यापन वेबसाईट http://lokseva.gov.in अथवा http://mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है ।

परिशिष्ट–'दस'

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(अवयस्क की स्थिति में आवेदन पत्र माता/पिता/पालक की ओर से प्रस्तुत किया जाय)

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,,
अनुविभाग .....,
जिला.....(म0प्र0)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे स्वयं/मेरे पुत्र/पुत्री को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति को दी जा रही शैक्षणिक सुविधाओं एवं अन्य आर्थिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति का सदस्य होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ।

इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है –

1. (अ) आवेदक का पूरा नाम .....
   (ब) आवेदक के पिता का पूरा नाम .....

2. उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से संबंध जिसके लिये प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है । नाम–.....
   पिता का नाम–.....
   (उसका नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि) जन्म तिथि–.....
   आवेदक से संबंध –.....

3. निवासी का पूरा पता (ग्राम/नगर, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील जिला सहित)
   (अ) वर्तमान पता .....
   .....
   (ब) स्थाई पता .....
   .....
   .....

4. आवेदक/आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है ? .....

5. यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान परिवर्तन किया है तो उसका विवरण स्थान –.....
   .....
   (कहां कहां रहे उसका पता एवं अवधि)

6. आवेदक की जाति/विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ का नाम (उप जाति सहित) .....

7.	क्या इस आवेदन के प्रस्तुति के पूर्व परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? यदि हां तो उसका विवरण एवं फोटो प्रति संलग्न करें)	नाम–..... जारी करने वाले कार्यालय का नाम –..... ..... जिले का नाम –..... जारी करने का दिनांक –.....
8.	आवेदक द्वारा अपनी जाति तथा निवास संबंधी प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का विवरण	....

टीपः–

1. विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र हेतु संबंधित सरपंच/पटवारी/पार्षद में से किसी एक का "प्रारूप–दो" में प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए । इसके अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा के इस जाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशिन कार्ड/ अचल सम्पत्ति (भू–अभिलेख) का रिकार्ड (यदि उपलब्ध हो) तो संलग्न करें ।
2. आवेदक/उनके पालक/अभिभवक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के सदस्य होने के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं । यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जायेगा । उसकी ब्याज वसूली की जायेगी और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति वर्ग के लिये घोषित सुविधायें प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ । मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के क्रमांक–2 में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा ।

स्थान–.....

दिनांक–.....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम तथा पता

परिशिष्ट–'ग्यारह'

विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र के लिए

घोषणा पत्र

(अव्यवस्क की स्थिति में माता/पिता/पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

1. नाम (जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है) :.....
2. पिता का नाम :.....
3. आयु :.....
4. जाति/उपजाति :.....
5. सरनेम :.....
6. धर्म :.....
7. व्यवसाय :.....
8. पता :.....

मैं शपथपूर्वक कथन/घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) मैं यह शपथ पत्र घोषणा पत्र स्वयं के/अपने पुत्र/पुत्री.....(नाम) के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

(2) मै मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.09.1963 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों की सूची के क्रमांक ..... पर अंकित जाति का सदस्य हूँ ।

(3) मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है । मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

स्थान.....

दिनांक.....

शपथकर्ता/घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–'बारह'

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के सदस्य होने का प्रमाणीकरण

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता श्री .....
..एवं माता श्रीमती..... निवासी ग्राम/नगर .....तहसील .....जिला ..... (मध्यप्रदेश) को मैं व्यक्तिगत रूप से विगत .... वर्षों से जानता हूं। श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पिता/पति (का नाम) श्री ..... जाति ..... का/की सदस्य है और इस जाति को मध्यप्रदेश राज्य में विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह सूची क्रमांक ..... के अनुक्रमांक ..... पर अंकित हे।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर
नाम .....
पदनाम (सील) .....
1. पार्षद (शहरी क्षेत्र) वार्ड क्रमांक.....
वार्ड का नाम .....
नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम
.....
2. सरपंच (ग्रामीण क्षेत्र) ग्राम पंचायत .....
विकासखंड .....
3. पटवारी हल्का नं .....
तहसील .....**जिला**.....**(म.प्र.)**

परिशिष्ट –'तेरह'

(विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के प्रमाण पत्र के लिए)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक .....प्रमाण पत्र कमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता श्री.....एवं माता श्रीमती ..... निवासी ग्राम/नगर.....तहसील.....जिला.....(मध्यप्रदेश).....जाति का/की सदस्य है और इस जाति मध्यप्रदेश में विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जो सूची क्रमांक.....अनुक्रमांक.....पर अंकित है । यह प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत ...../पटवारी हल्का नं. ...../पार्षद वार्ड क्रमांक .....श्री .....के प्रमाणीकरण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

स्केन्ड सील

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर (स्केन्ड)
नाम.....
पदनाम.....

स्थान.....
दिनांक.....
आधार नंबर–
SSSM नंबर–

नोट :- पंजीयन क्रमांक ---------- द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट का सत्यापन वेबसाईट http://lokseva.gov.in अथवा http://mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है ।

परिशिष्ट –'चौदह'

क्रीमीलेयर के मापदण्ड

क्र.	प्रवर्ग का वर्णन	क.	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3	4
1.	संवैधानिक पद	1.	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं)
		(क)	भारत के राष्ट्रपति
		(ख)	भारत के उपराष्ट्रपति
		(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
		(घ)	संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
		(ड़)	समान स्वरूप के संवैधानिक पदों का धारण करने वाले व्यक्ति
2.	**सेवा प्रवर्ग (सर्विस केटेगरी)**		**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं)**
(क)	अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह–ए/वर्ग–1 अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त)	(क)	जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग–I अधिकारी है ।
		(ख)	जिनके माता पिता में से कोई एक वर्ग–I अधिकारी हैं ।
		(ग)	जिनके माता पिता में से दोनों ही वर्ग–I अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है ।
		(घ)	जिनके माता पिता में से एक वर्ग–I अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो ।
		(ड़)	जिनके माता पिता दोनों ही वर्ग–I के अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थाई तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मुत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–
		(i)	उनकी पुत्र एवं पुत्रियां जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों वर्ग– I अधिकारी है किन्तु उसकी/उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है ।

		(ii)	अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह वर्ग–I अधिकारी से हुआ है, भले ही अधिकारी पिछड़ा वर्ग का हो अथवा नहीं, तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है ।
		(iii)	जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–I का अधिकारी है तथा वह सेवा निवृत्त हो चुका है ।
(ख)	**केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह बी/वर्ग–II के अधिकारी (सीधी भरती) द्वारा नियुक्त ।**		**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)**
		(क)	जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग–II के अधिकारी है ।
		(ख)	जिनके माता पिता में से केवल पति वर्ग II का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व आयु में वर्ग–I अधिकारी बनता है ।
		(ग)	जिनके माता पिता दोनों ही वर्ग – II के अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
		(घ)	जिनके माता पिता में से पति वर्ग –I अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी वर्ग –II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाय, अथवा अस्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, तथा
		(ड)	जिनके माता पिता में से पत्नी वर्ग – I अधिकारी हो (सीधी भरती से अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) एवं पति वर्ग II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाये अथवा यह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये । परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :– निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)
		(क)	जिनके माता पिता दोनो वर्ग II अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती हैं अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।
		(ख)	जिनके माता तथा पिता दोनों वर्ग –II अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनो स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष में अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ।
		(ग)	जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–II का अधिकारी है तथा वह सेवा निवृत्त हो चुका है ।

(ग)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी	इस प्रवर्ग में उपर्युक्त "क" तथा "ख" में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारा करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा । साथ ही गैर सरकारी (प्रायवेट) समकक्ष या समतुल्य पदों एवं स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा । इन संस्थानों में समकक्ष या तुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन लंबित है तो निम्न प्रवर्ग VI में अंकित मापदण्ड इन संस्थानों के अधिकारियों पर लागू होंगे ।
3.	सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)	उन माता पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ) जिनमें से कोई एक अथवा दोनो सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है परन्तु,
	(एक)	यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जायेगी ।
	(दो)	पति तथा पत्नी के कर्नल के नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं किया जायेगा ।
	(तीन)	यहाँ तक की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह पद संख्या–2 के तहत् सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए । ऐसे मामले में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्तें उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी ।
विशेष टीपः प्रवर्ग 2 के (क) एवं (ख) तथा प्रवर्ग–3 के अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं सशस्त्र सेना, जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा ।		
4.	व्यावसायिक : वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हो,	प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
(1)	चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउण्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता वास्तुकार, कम्प्युटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटककार, पेशेवर खिलाड़ी, खेल व्यवसायी जनसंचार व्यवसायी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति ।	
(2)	व्यापार, कारोबार तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति	प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
		स्पष्टीकरण–

		(1)	चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा ।
		(2)	यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।
5.	सम्पत्ति धारक	(एक)	एक ही परिवार (माता–पिता अव्यस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) जो निम्नलिखित के स्वामी हैं ।
(क)	कृषि क्षेत्र	(एक)	सिंचित क्षेत्र प्रवर्ग–6 के समक्ष, विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे
		(दो)	यदि परिवार के पास जोत क्षेत्र है, वह पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है, तो अवर्जन का नियम लागू नहीं होगा ।
(ख)	बागान		
(एक)	कॉफी, चाय, रबर, आदि		नीचे प्रवर्ग–6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा
(दो)	आम, खट्टे फल, सेव के बाग आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जावेगा इसलिए इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" मापदण्ड लागू होगा ।
(ग)	शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में भवन और/या खाली भूमि		नीचे प्रवर्ग–6 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा । स्पष्टीकरण :– भवन का उपयोगरहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है ।
6.	आय/सम्पत्ति आंकलन	(क)	उन व्यक्तियों क`पुत्र एवं पुत्रियॉ, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय (रूपये 4.50 लाख) (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है अथवा अनकर अधिनियम` यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है ।
		(ख)	श्रेणी – I,II,III और V- क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रातों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगा, के पुत्र ओर पुत्रियॉ ।
		(I)	स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा ।
		(II)	रूपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जायेगा । परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतर अवधि कम भी हो सकती है ।

स्पष्टीकरण :– (1) इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" का प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये नहीं रखा जा सकें ।

परिशिष्ट –'पन्द्रह'

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जातियों की अद्यतन सूची

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी (बागरी, बागड़ी में राजपूत एवं ठाकुर की उपजातियों को छोड़कर) (भा./स. राजपत्र 30–8–07 द्वारा)
3. बहना, बहाना
4. बलाही, बलाई
5. वांचड़ा
6. बराहर, बसोड़
7. बरगुड़ा
8. बसोर, बरूड, बंसोडी, बांसफोर, बसार
9. बेडिया
10. बेलदार, सुन्कर
11. भंगी, महतर, वाल्मीक, लालबेगी, धरकर
12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बैरवा, भांवी, जाटव, मोची, रैगर, नौना, रोहीदास, रामनी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, अहिरवार, चमार, मांगन, रैदास
15. चिडार
16. चिकवा, चिकवी,
17. चितार
18. दहायत, दहैत, दाहत
19. देवार
20. धानुक
21. ढेड़, ढेर
22. धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में)
23. डोहार
24. डांग, डुमार, डोग, डोरीस
25. गांडा, गांडी
26. घासी, घासिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कतिया, पथरिया
30. खटिक
31. कोली, कोरी
32. कोटवाल (भिन्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन तथा विदिशा जिलों में)
33. खंगार, कनेरा, मिरधा

34. कुचवंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिले में)
36. महार, मेहरा, मेहर, महारा (प्रतिस्थापित भा./स. राजपत्र 18—12—2002 द्वारा)
37. मांग, मांग गारूडी, मांग गरोडी, दखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गरूडी, राधे मांग
38. मेघवाल
39. मोघिया
40. मुसखान
41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
42. पारथी (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
43. पासी
44. रूज्जार
45. सांसी, संसिया
46. सिलावट
47. झामराल
48. सरगरा (भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18—12—2002 द्वारा)

LIST OF SCHEDULED CASTES

1. Aulhelia
2. Bagri,Bagdi (बागरी, बागड़ी में राजपूत एवं ठाकुर की उपजातियों को छोड़कर)
3. Bahna, Bahana
4. Balahi, Balai
5. Banchada
6. Barahar, Basod
7. Bargunda
8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar
9. Bedia
10. Beldar, Sunker
11. Bhangi, Mehtar, Balmik, Lalbegi, Dharkar
12. Bhanumati
13. Chadar
14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramani Satnami, Suriya banshi, Suryara moara, Ahirwar, Chamar, Mangan, Raidas
15. Chidar
16. Chikwa, Chikvi
17. Chitar
18. Dahait, Dahayat, Dahat
19. Dewar
20. Dhanuk
21. Dhed, Dher
22. Dhobi (in Bhopal, Raisen and Sehore Districts)
23. Dohor
24. Dom, Dumar, doma, Domar, Doris
25. Ganda, Gandi
26. Ghasi, Ghasia
27. Holia
28. Kanjar
29. Katia, patharia
30. Khatik
31. Koli, Kori
32. Kotwal (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha Districts)
33. Khangar, Kanera, Mirdha.
34. Kuchbandhia
35. Kumhar (in Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh Districts)
36. Mahar, Mehra, Mehar, Mahara. (inserted by the Notification dated 18-12-2002 of GOI)

37. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhni Mang, Mang Mahashi, Madari, Garodi, Radhe Mang
38. Meghwal
39. Moghia
40. Muskhan
41. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar
42. Pardhi (Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargaon, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha Districts)
43. Pasi
44. Rujjhar
45. Sansi, Sansia
46. Silawat
47. Zamral
48. Sargara (inserted by the Notification dated 18-12-2002 of GOI)

परिशिष्ट –'सोलह'

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियां

1. अगरिया
2. आंध
3 बैगा
4. भैना
5. भारिया, भामिया, भुइनहार, भूमिया, भारिया, भालिहा, पांडो
6. भट्टार
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील, मीना
9. भुजिया
10. बिअर, बियार
11. बिन्जवार
12. बिरहुल, बिरहार
13. दामोर, दामेरिया
14. धनवार
15. गड़ावा, गड़वा
16. गोड़ (अरख, अर्राख, अगरिया, असुर, बडी, मडिया, बड़ा, भाडिया, भंटोला, भिम्मा, भता, कोइल भूता, कोईल भूटी, भार, बाइसन, हार्न माडिया, छोटा माडिया, डेडामी, मांडिया, घरू, धुरवा, धोबा, धूलिया, डोरला, गौकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौड, गोवारी, हिल, मांडिया, कांड्रा कलंगा, खटोला, कोइटारा कोया, खिरवार, खिराबारा, कचमाडिया, कुचाकी, माडिया, माडिया, मारिया, मन्नेवार, मोघिया, मोधिया. मुडिया, मुरिया, नागरची, नागवंशी, ओझा, राज सोंझारी, झोरका, थारिया, थोटया, बडमारिया बड़े माड़िया, दरोई)
17. हल्वा, हलवी,
18. कगार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राठिया, तवर, छत्तरी
21. कीर (भोपाल, रायसेन तथा सीहोर जिले में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8–1–2003 द्वारा विलोपित
22. खैरवार, कोंदार
23. खड़िया
24. कोंघ, खोंड कांघ
25. कोल
26. कोलभ
27. कोरकू, वोपची, मोवसी, निहाल नहुल, बोधी बोंडया
28. कोरबा, कोडकू
29 माझी
30 मझवार

31. मवासी
32. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8—1—2003 द्वारा विलोपित
33. मुंडा
34. नागेस, नागेसिया
35. उरांव, धानका, धनगड़
36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी तथा टीकमगढ़ जिलें में)
37. पाव
38. परधान, पठारी, सरोती
39. पारधी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8—1—2003 द्वारा विलोपित
40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चीता पारधी, लंगोली पारधी, फन्स पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया, (1. छिन्दवाड़ा, मण्डला, सिवनी, 2.बालाघाट जिले की बैहर तहसील, 3. बैतूल जिले की बैतूल, भैसदेही, और शाहपुर तहसील, 4. जबलपुर जिले की पाटन तहसील एवं सीहोरा एवं मझोली विकासखण्ड, 5. कटनी जिले की कटनी (मुरवारा) और विजया राघोगढ़ तहसील और बहोरीबांध, एवं धमीरखेड़ा विकासखण्ड, 6. होशंगाबाद जिले की बाबई, सोहागपुर, पिपरिया एवं बनखेड़ी तहसील तथा केसला विकासखण्ड, 7. नरसिंहपुर जिला एवं 8. खंडवा जिले की हरसूद तहसील में)
41. परजा
42. सहेरिया, सहारिया, सेहरिया, सेरिया,
43. सांउला, सौंता
44. सौर
45. सबर, सबरा
46. सोर

LIST OF SCHEDULED TRIBES

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
5. Bharia,Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando
6. Bhattra
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bhil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar
15. Gadaba, Gadba
16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita Gond, Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Murai, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj Gond, Sonjhari, Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi.
17. Halba, Halbi
18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
21. **[Keer (in Bhopal, Raisen and Sehore districts) Omitted by Governemtn of India Gezette Notification dated 8.1.2003]**
22. Khairwar, Kondar
23. Kharia
24. Kondh, Khond, Kandh
25. Kol
26. Kolam
27. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi Bondeya
28. Korwa, Kodaku
29. Majhi
30. Majhwar
31. Mawasi

32.[Mina (in Sironj Sub-Division of Vidisha District) Omitted by Government of India Gezette Notification dated 8.1.2003]

33.Munda

34.Nagesia, Nagasia

35.Oraon, Dhanka, Dhangad

36.Panika [in (i) Chhatarpur, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, umaria, Sidhi and Tikamgarh district and (ii) sevdea & Datia tahsil of Datia District.]

37.Pao

38.Pradhan, Pathari, Saroti

39.[Pardhi (in Bhopal, Raisen and Sehore districts) Omitted by Government of India Gezette Notification dated 8.1.2003]

40.Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli, Pardhi, Phans, Pardhi, Shikari, Takankar, Takia (i) (Chhindwara, Mandla, Seoni district) (ii) Baihar tahsil of Balaghat district (iii) Betul and Bhainsdehi tahsils of Betul district (iv) Murwara, Patan and Sihora tahsils of Jabalpur district (viii) Hoshangabad and Sohagpur tehsils of Hoshangabad district and Narsinghpur district (ix) Harsud tehsil of Khandwa district

41.Parja

42.Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor

43.Saonta, Saunta

44.Saur

45.Sawar, Sawara

46.Sonr

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	अहीर,ब्रजवासी,गवली,गोली,जादव(यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती हैं, यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	-
3.	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राम्हण शामिल नहीं हैं
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6.	बढई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	-
8.	वसुदेव,वसुदेवा,वासुदेव,वासुदेवा,हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसा का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है.
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरूदावली का गायन करना	-
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	-
12.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/ नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी, सोंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गटआ उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां, इसी रूप में सम्मिलित की गयी है. 2.राजगढ़, गुना, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, इंदौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलो में निवासरत सौंधिया जाति का परंपरागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है, इसमें राजपूत शामिल नहीं होंगे.
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं
14.	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	-
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राहम्ण है. सूची में शामिल किया गया
16.	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	-
17.	चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगिर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	-

मध्य पदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग मे सम्मिलित जातियों की सूची

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	-
19.	दर्जी,छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	-
20.	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल,रायसेन व सीहोर जिले में अनु.जाति में शामिल हैं.
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राहम्ण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनु. जनजाति में घोषित है.
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है
23.	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियाँ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं पाल व बघेले गड़रिया जाति को उप जाति के रूप में शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24.	कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार	कपास की रूई धुनकने का कार्य करना. कडेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं	-
25.	कोष्टा कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढवाल, गढेवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26.	धोली/ड़फाली/ड़फली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती है	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है
27.	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29.	लोहार,लुहार,लोहपीटा,गड़ोले,हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं हैं.
30.	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते	जोगी धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं
31.	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं
33.	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई,सोनकर कोहरी (ब) माली (सैनी), मरार, फूलमाली (फूलमारी)	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी -	कुशवाहा काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति के शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं. यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है. कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं
34.	जोशी (भड्ड़री) ड़कोचा, ड़कोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राहम्ण इसमें शामिल नहीं हैं

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	-
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	-
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	-
38.	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ, सतना, रीवा, सीधी व शहड़ोल जिलों को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ, सतना, रीवा, सीधी व शहड़ोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रानाहू, कुंभी गवेल (गमैल) सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	-
40.	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	-
41.	कौरव, कांवरे	कृषक	-
42.	कलार (जायसवाल) कलाल, ड़ड़सेना	मदिरा (शराब) बेचना	-
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	-
44.	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	श्रमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	-
45.	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शदी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं.
46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	-
47.	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल जिलों को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना. बुनकर	पनिका छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, रीवा, सतना, सीधी व शहड़ोल जिले में जजा- शामिल हैं.
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपडे सत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	-
50.	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	-
51.	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं. राठौर का तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
52.	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	-
53.	किसड़ी, कसड़ी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	-
54.	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवर-गढ क्षेत्र में निवास करती है
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं	सरगुजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मैंनकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल है.

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
57.	कोटवार, कोटवाल (भिण्ड,धार,देवास, गुना,ग्वालियर,इन्दौर,झाबुआ,खरगौन, मंदसौर, मुरैना,राजगढ,रतलाम,शाजापुर, शिवपुरी,उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति की भिण्ड,धार,देवास, गुना,ग्वालियर,इन्दौर,झाबुआ,खरगौन, मंदसौर,मुरैना,राजगढ,रतलाम,शाजापुर, शिवपुरी,उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया.
58.	खैरूवा	कत्था बनाना	खैरूवा, खैरवार की उपजाति है. खैरवार अनु. जनजाति में शामिल हैं.
59.	लोढा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	-
60.	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी.	एक अघोषित आदिम जजा
61.	रजवार	कृषक, कृषि मजदूर	-
62.	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63.	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बैंत का सामान बनाने का कार्य करना.	-
64.	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65.	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	-
66.	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलुगु भाषी हैं. विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती हैं.
67.	राघवी	कृषि कार्य करना	-
68.	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	-
69.	खारोल	कृषि मजदूरी	-
70.	विलोपित	-	विलोपित
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	-
72.	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	-
73.	जादम	कृषि मजदूरी	-
74.	दांगी	कृषक	दांगी राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.
75.	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76.	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं.
77.	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद हैं.
78.	वया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं
79.	पिंजारा (हिन्दू)	-	-
80.	विलोपित	-	-
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं.	अनु जातियां जिन्होंने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है,उनको आयोग द्वारा पिछडे वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82.	अंजना	-	-
83.	थोरिया	-	-
84.	गेहलोत मेवाड़ा	-	-
85.	रेवारी	-	-
86.	रूवाला/रूहेला	-	-

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) भिश्ती, अब्बासी "सक्का"	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहत्तर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवस्था
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य.	हिन्दू मेवैती जाति के समान कार्य.
	(8) पिंजारा, नद्दाक, बेहना, धुनिया, धुनकर, फकीर,शाह, सांई, कब्रखोदू	रूई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति, एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं को कडेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैंत खाने का सामान बेचना.	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, करसाव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य.	हिन्दू खटिक जाति के समान जंधा
	(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा.
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढई (कारपेन्टर) खरादी कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम. लकड़ी पर खरादी कर कार्य तथा लाख का कार्य करना.	हिन्दू बढई जाति के समान पेशा
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य.	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले.
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा.
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले.
	(19) तड़वी	कृषि कार्य.	-
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमडे के जूते चप्पल आदि बनाना.	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले.
	(22) तेली, नायता, पिंड़ारी (पिंड़ारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले.
	(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-
	(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य सामान में कलई करना	-
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम.	-
	(26) शीशगर	-	-

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
	(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना.	क्रमांक-1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति.
	(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य.	क्रमांक-17 पर हिन्दू राजगिर के समकक्ष जाति.
	(29) ड़फाली	मांगना	क्रमांक-26 पर हिन्दू ड़फाली के समकक्ष जाति
	(30) घोषी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक-31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष जाति.
	(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक 50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति.
	(32) संतरास	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई.	सूची क्रमांक-52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संतरास पत्थर तराशने का कार्य करते हैं.
	(33) नट	कलाबाजी दिखाना.	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समक्ष जाति.
	(34) शेख मेहतर (35) नियारगर (36) गद्दी (37) मुकेरी, मकरानी (38) भांड, नक्काल	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना. सुनार व सडक की धूल कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातू को एकत्रित कर सुनारों के पास बेंचना पशुपालन,कृषि तथा मजदूरी पशु पालन एवं पशु व्यवसाय	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति
88.	बैसवार	कृषि एवं कृषि मजदूरी करना.	-
89.	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क के किनारे दुकाने लगाने का छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले.	
90.	विश्नोई जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी कृषि एवं कृषि मजदूरी	
91.	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	1.यह जाति मध्यप्रदेश में मुख्यतः डिण्डौरी, उमरिया व शहड़ोल जिलों में निवासरत है। 2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नहीं होगें।
92.	बहावलपुरी	कृषि, मजदूरी	पाकिस्तान के बहावलपुर प्रान्त से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाए गए मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है.

CENTRAL LIST OF OBCs FOR THE STATE OF MADHYA PRADESH

Entry No	Caste/ Community	Resolution No. & Date
1.	Ahir, Brajwasi, Gawli, Gawali, Goli, Lingayat-Gaoli, Gowari, (Gwari), Gowra, Gawari, Gwara Jadav, Yadav, Raut Thethwar, Gop/Gopal, Bargahi, Bargah	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995 12015/15/2008-BCC dt. 16.06.2011
2.	Asara	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
3.	Bairagi	-do-
4.	Banjara, Kachiriwala Banjara, Laman Banjara, Bamania Banjara Laman/Lambani, Banjari, Mathura, Mathura Labhan, Mathura Banjari, Navi Banjara, Jogi Banjara, Nayak, Nayakada, Lambana/ Lambara Lambhani, Labhana, Laban, Labana, Lamne, Dhuriya	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
5.	Barai, Waarai, Wari (Chaurasia), Tamoli, Tamboli Kumavatt, Kumavat, Bari	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
6.	Barhai, Sutar, Suthar, Kunder, Vishwakarma	-do-
7.	Vasudev, Basudeva, Basudev Vasudeva Harvola Kapdia Kapdi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995

	Gondhli	
8.	Badhbhuja, Bhunjwa, Bhurji, Dhuri or Dhoori	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999 12015/09/2000-BCC dt. 06/09/2001
9.	Bhat Charan (Charahm) Salwi, Sutiya Rav Jasondhi Maru-Sonia	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
10.	Chippa, Chhipa Bhavsar Nilgar, Jingar Nirali Ramgari Rangari Rangrez Rangarej Rangraz Rangredh Chippa-Sindhi-Khatri	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/9/2000-BCC dt 06.09.2001
11.	Dhimar/ Dhimer, Bhoi, Kahar, Kahra, Dhiwar, Mallah, Nawda, Navda, Turaha, Kewat (Raeckwar, Raikwar), Kir (excluding Bhopal, Raisen & Sehore Districts) Britiya/ Vritiya, Sondhiya	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12015/09/2000-BCC dt. 06/09/2001
12.	Powar, Bhoyar/ Bhoyaar, Panwar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
13.	Bhurtiya, Bhutiya	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
14.	Bhatiyara	-do-
15.	Chunkar Chungar/Choongar Kulbandhiya Rajgir	-do-

16.	Chitari	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
17.	Darji Cheepi/Chhipi/Chipi Shipi Mavi (Namdev)	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
18.	Dhobi (excluding Bhopal, Raisen & Sehore District i.e. excluding the areas Where they are listed as Scheduled Castes)	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
19.	Deshwali. Mewati (excluding Sironj Tehsil of Vidisha District), Mina (Rawat) Deshwali	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
20.	Kirar Kirad Dhakar/Dhakad	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
21.	Gadariya, Dhangar, Kurmar, Hatgar, Hatkar, Haatkaar, Gaadri, Gadaria, Gari, Gayari, Dhariya, Dhoshi (Gadariya), Gadariya (Pal/ Baghele)	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
22.	Kadere/ Kadore Dhunkar Dhuniya Dhanka	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995

23.	Koshta/Kosta Kosti/Koshti Devangan Dewang Salwidewang Mala Padamhali Pademsali Sali Sutsali Salwar/Salewar Jendra/Jandra Koskati Garhwal, Garhewal Garewar Garwar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
24.	Dholi Dafaali/Dufali Gurav/Guraw	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
25.	Gusai/Gosai/Gosain Gosaib Goswami/Gowsami	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
26.	Goojar/Gurjar	-do-
27.	Lohar, Luhar, Lohpita, Gadoley, Gadela, Lohpata, Lohpeta, Vishwakarma, Hunga Lohar, Garola, Lohar (Vishwakarma)	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
28.	Garpagari, Joginath, Nathjogi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/1995-BCC dt 15.05.95
29.	Sonar, Sunar, Swarnakar, Jhhari, Jhhadi Awedhiya Audhiya	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
30.	Kachhi (Kushwaha/ Koshwaha Maurya) Koyari/Koiri (Kushwaha), Shakya, Murai, Panara/Panahara, Sonkar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999

31.	Mali (Saini), Marar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/96/94-BCC dt. 09/03/1996
32.	Lakhera/Lakher, Kachera/Kacher	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
33.	Thathara, Thatera	-do-
	Kasar Kasera Tamera Tambatkar/Tamrakar Tamer	-do-
34.	Khatiya Khati	-do-
35.	Kumhar (Prajapati) Kumbhar,(excluding Chhatarpur, Datia, Panna, Tikamgarh, Satna, Rewa, Sidhi and Shahdol Districts)	-do-
36.	Kurmar/Kurami/Kurmi, Kunbi, Kurmi (Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel/Gabhel), Kurmavanshi, Chandrakar, Chandra Nahu, Kumbhi Gavel (Gamel), Sirvi.	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/96/94-BCC dt. 09/03/1996 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
37.	Karmariya	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
38.	Kalar, Kalal	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
39.	Kalota/Kolta/Koltta/ Kalotha	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011
40.	Loniya/Luniya/Lonia/Lunia Odh, Odhe, Odhiya, Ode, Odiya Naaniya, Muraha, Muraaha, Mudaha, Nunia, Nonia	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
41.	Nai (Sein, Savita, Shrivas), Mhali, Navhi/ Navi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
42.	Nayata,Nayada	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
43.	Patka Patki Patwa	-do-
44.	Lodhi Lodha Lodh	-do- 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08.12.2011

45.	Sikligar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
46.	Teli (Rathore, Sahu)	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/1995-BCC dt 15.05.95 12011/96/94-BCC dt. 09/03/1996
47.	Tarha Tirwali Waddar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
48.	Kasabi/ Kisbi	-do-
49.	Rautiya, Rotiya	-do-
50.	Mankar	-do-
51.	Kotwar/ Kutwar Kotwal, (excluding Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain, & Vidisha Districts)	-do-
52.	Bharood	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
53.	Raghwi/ Raghavi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
54.	Saiees, Sahees Sayees,	-do-
55.	Kharol	-do-
56.	Dangi	-do-
57.	Meru, Mer	-do-
58.	Scheduled Castes who have embraced Christianity.	-do-
59.	**Islamic Groups:**	
1.	Rangrej	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
2.	Bhisthi, Bhishti-Abbasi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/1995-BCC dt 15.05.95 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
3.	Chippa/Chhipa	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
4.	Hela	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995
5.	Bhatiyara	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
6.	Dhobi	-do-
7.	Mewati, Meo	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
8.	Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar, Mansoori.	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999

9.	Kunjara, Raine	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
10.	Manihar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/1995-BCC dt 15.05.95
11.	Kasai, Kasab, Kassab Qussab, Qassab-Qurreshi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12.	Mirasi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
13.	Barhai,(Carpenter)	-do-
14.	Hajjam(Barber), Nai (Barber), Salmani	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/95-BCC dt. 15.05.1995 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
15.	Julaha-Momin, Julaha-Ansari, Momin-Ansari	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/21/1995-BCC dt 15.05.95 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000 12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001
16.	Luhar, Saifi, Nagauri Luhar, Multani Luhar	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
17.	Tadavi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
18.	Banjara, Mukeri, Makrani.	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993 12011/44/99-BCC dt. 21/09/2000
19.	Mochi	12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
20.	Teli, Nayata, Pindari (Pindara)	-do- 12011/21/1995-BCC dt 15.05.95
21.	Kalaigar	12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
22.	Pemdi	-do-
23.	Nalband	-do-
24.	Mirdha (Excluding Jat Muslims)	12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
25.	Nat (Other than those included in the SC List)	12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
26.	Niyargar, Niyargar-Multani Niyaria	12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
27.	Gaddi	-do-
60.	Ghoshi	12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
61.	Pinjara (Hindu)	-do-
62.	Rajwar	12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
63.	Panika (except in Districts of Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh where it is included in the Scheduled Tribes List)	12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999

64.	Agharia	12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
65.	Sodhi, Sodi, Sundi, Sondi.	12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
66.	Khairuwa	12015/15/2008- BCC dt. 16.06.2011

आदिमजाति कल्याण विभाग

Bhopal, the 21st September 1963.

No. 6209-XXV-(Gen)-IK-63.—The State Government are pleased to declare the Communities mentioned in Annexure I, to be the Nomadic and Semi Nomadic Tribes for purposes of award of the Government of India Post-Matric Scholarships only.

2. The State Government are also pleased to declare the Communities mentioned in Annexure II, to be the Denotified Tribes for the whole State for purposes of Government of India, Post-Matric Scholarships as well as all Welfare Programmes.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. K. DUBE, Secy.

ANNEXURE I

Nomadic and Semi-Nomadic Tribes

1. Baldia.
2. Barhbowalia.
3. Bhats.
4. Bhantu.
5. Desar.
6. Durgumaragi.
7. Ghisadi.
8. Gondhali.
9. Irani.
10. Jogi, Jogi Kanpatta.
11. Joshi Balsantoshi, Joshi Bahulikar, Joshi Bajarta, Joshi Budubuduki, Joshi Chitrakthi, Joshi Harda, Joshi Nadia, Joshi Harbola, Joshi Namdewala, Joshi Pingala.
12. Kashikapdi, Kashikapdi Harda, Kashikapdi Harbola.
13. Kalandar (Qalandar) Nagphara.
14. Kamad.
15. Karohla.
16. Kassai (Shepherd).
17. Loharpitta (Gadhar Lohar).
18. Navakda (Navakda Bhil).
19. Shikkaligar (Bardhia, Saigulgor, Sarania, Shikligar).
20. Siringiwala Kuchband (Kuchband).
21. Sudugudu Sidhan (Bahurupiya).
22. Vanvanthar Rajgond.
23. Gaddis.
24. Rebharis (Cattle breeders).
25. Golars (Golams, Gollas, Balaghats, Golkars).
26. Gosains.
27. Bharaddi Hardas.
28. Bharaddi Harbolas.
29. Hejaras.
30. Dhangars.

ANNEXURE II

Denotified Tribes

1. Kanjar.
2. Sansi.
3. Banjara.
4. Banchhada.
5. Moghiya.
6. Kalbelia.
7. Bhammat.
8. Bagri.
9. Nat.
10. Pardhi.
11. Bedia.
12. [illegible]

13. Bhatu.
14. Kuchbandia.
15. Bijoria.
16. Kabutari.
17. Sandhiya.
18. Pasis.
19. Chandravedias.
20. Bairagis.
21. Sanoriya.

भोपाल, दिनांक २१ सितम्बर १९६३.

क्र. ६२०९-पच्चीस (सा.)-आई. के.-६३.—राज्य शासन परिशिष्ट एक में उल्लिखित समुदायों को, केवल भारत सरकार की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजनों के लिए अस्थिरवासी, और अर्ध-अस्थिरवासी जातियां घोषित करता है. साथ ही राज्य शासन परिशिष्ट दो में उल्लिखित समुदायों को, भारत सरकार की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजनों के लिए और सभी कल्याण कार्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अननुसूचित (विमुक्त) जातियां घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. दुबे, सचिव.

परिशिष्ट एक

अस्थिरवासी और अर्ध-अस्थिरवासी जातियां

(१) बलदिया.
(२) बाछोवालिया.
(३) भाट.
(४) भन्तु.
(५) देसर.
(६) दुर्गी मुरार्गी.
(७) घिसाडी.
(८) गोधली.
(९) ईरानी.
(१०) जोगी, जोगी कनफटा.
(११) जोशी बाल सन्तोषी, जोशी बहुलीकर, जोशी बजारिया, जोशी बुदुबुदुकी, जोशी चित्राकठी, जोशी हरदा, जोशी नादिया, जोशी हरबोला, जोशी नामदीवाला, जोशी पिंगला.
(१२) काशीकापडी (काशी कापडी हरदा, काशी कापडी हरबोला).
(१३) कलन्दर नागफडा.
(१४) कामद.
(१५) करोला.
(१६) कसाई (गडरिए).
(१७) लोहार पिट्टा (गाडिया लोहार).
(१८) नायकडा (नायकडा भील).
(१९) शिकलिगर (बरधिया, सैगुलगोर, सरानिया, शिकलिगर).
(२०) सिरंगी वाला कुचबन्द (कुचबन्द).
(२१) सुदुगुदु सिद्दन (बहुरूपिया).
(२२) वनीयन्थर राजगोंड.
(२३) गद्दीज.
(२४) रेभारी (पशु-पालक).
(२५) गोलर (गोलम, गोला, बालाघाट गोलकर).
(२६) गोसाईं
(२७) भराडी हरदास.
(२८) भराडी हरबोला.
(२९) हेजरा.
(३०) धनगरे.

परिशिष्ट दो

अनुसूचित जातियां

(१) कंजर.
(२) सांसी.
(३) बंजारा.
(४) बनछडा.
(५) [illegible]

(६) कालबेलिया.
(७) भानमत.
(८) बगरी.
(९) नट.
(१०) पारधी.
(११) बेदिया.
(१२) हाबुड़ा.
(१३) भाटू.
(१४) कुचबन्दिया.
(१५) बिजोरिया.
(१६) कबूतरी.
(१७) सन्धिया.
(१८) पासी.
(१९) चन्द्रवेदिया.
(२०) बैरागी.
(२१) सनोरिया.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ 7–36/2004/आ0प्र0/एक भोपाल, दिनांक 05/02/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–याचिका 9748–9749/2008 तथा याचिका क्रमांक 1206/2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के पालन बाबत् ।

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 7–36/2004/आप्र/एक, दिनांक 11.11.2005 एवं 21.03.2013.

––0––

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका कमांक WP No. 351/2002 श्री रामप्रकाश पहारिया विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 22.02.2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन की याचिका 9748–9749/2008 तथा सर्व मांझी आदिवासी कल्याण समिति की याचिका कमांक 1206/2009 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है । उक्त याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2011 को निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किये गये है :–

> "The inquiry shall go on but no final order shall be passed without the permission of this court "

2/ अतः मांझी जनजाति के जो अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासकीय सेवाओं में नियुक्ति पाकर सेवारत है, उनके विरूद्ध यदि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जांच प्रचलित है, तो वह निरंतर रखी जाये, किन्तु ऐसे किसी भी प्रकरण में अंतिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ही जारी किये जाये ।

3/ यह भी अवगत कराया जाता है, कि परिपत्र क्रमांक 49–1907–1–ह.आ.से., दिनांक 31 जनवरी 1978 द्वारा जारी मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 29 पर अधिसूचित है । अतः वे लोग जो राजस्व व शैक्षणिक अभिलेखों द्वारा अपने को मांझी जनजाति का होना सिद्ध करते है, तो उनके नवीन जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाये और ऐसे वे लोग जो सिद्ध नही कर पाते है, तो उन्हें नवीन जाति प्रमाण पत्र जारी नही किये जावे । इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.11.2005 की कंडिका–2 में भी यह निर्देश दिये गये है ।

4/ इस विभाग के उक्त संदर्भित परिपत्रों के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है, कि मांझी जनजाति के प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित रखा जावे। कतिपय अधिकारियों द्वारा उक्त परिपत्रों का पालन नही किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। अतः उपरोक्त निर्देशों का एवं कंडिका–2 में उल्लेखित न्यायालयीन निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(आर0के0 गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 कमांक एफ 7–36/2004/आ0प्र0/एक भोपाल, दिनांक 05/02/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निजं सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद–500082।

16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
18. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल।
19. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
20. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 07/02/2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण ।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ.प्र./ एक, दिनांक 25.02.2003, 25.08.2012 एवं 02.07.2013

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.02.2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये (क्रीमीलेयर) के मापदण्ड जारी किये गये है, जिन्हें परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 द्वारा पुनः एकजाई एवं संशोधित रूप में जारी किये गये हैं ।

2/ विभिन्न स्तरो से समय–समय पर क्रीमिलेयर के संबंध मे स्पष्टीकरण चाहा जाता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने ज्ञापन क्रमांक 36033/5/2004-Estt (Res) दिनांक 14–10–2004 द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में अनेक प्रावधानों से संबंधित शंकाओं

निरंतर....2

बेटी है तो कल है

का समाधान किया गया है, जो अग्रलिखित है :–

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(i)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी–I/समूह "क"** अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(क) माता–पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–1/समूह 'क'** अधिकारी है और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;
(ii)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी–II समूह "ख"** अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाये अथवा वह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(ख) माता–पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II/समूह 'ख'** के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए, आर
(iii)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनो ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी II समूह "ख"** अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षगता का शिकार हो जाय, यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थाई अक्षमता से पूर्व इनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि से किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम पॉच वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो ?	(ग) माता–पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II /समूह 'ख'** के अधिकारी है और दोनों की ही सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाये भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 05 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नही आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियॉ संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जावेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(iv)	ऐसे माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियॉ जो अपने माता–पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा–श्रेणी के कारण संपन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता–पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी संपन्न वर्ग में बने रहेंगे ?	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे माता–पिता के पुत्र और पुत्रियॉ जिन्हें अपने माता–पिता के सेवा स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग में शामिल माना गया है, संपन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता–पिता सेवानिवृत्त हो गये हो अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गयी हो ।
(v)	क्या ऐसे माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियॉ संपन्न वर्ग (क्रिमीलेयर) के अंतर्गत माने जावेगें ? जिनमें पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी–3/समूह–''ग'' अथवा श्रेणी–4/समूह ''घ'' कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह **श्रेणी –1/समूह ''क''** अधिकारी बन गया हो ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे पुत्र एवं पुत्रियॉ जिनके माता–पिता मे से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II/समूह 'ख'** अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी–I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए, संपन्न वर्ग के अंतर्गत माने जावेगें । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी III/समूह 'ग'** अथवा **श्रेणी IV/समूह 'घ'** कर्मचारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व **श्रेणी I/समूह 'क'** अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र एवं पुत्रियॉ संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएगें ।

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(vi)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी–1/समूह "क" अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी II /समूह 'ख'** अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या उससे पहले **श्रेणी I /समूह 'क'** अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि उम्मीदवारों के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता–पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवारों की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जावेंगा ।
(vii)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा जिसकी सकल वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से संपत्तिकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?	
(viii)	अनुदेशों में यह प्रावधान है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–I / समूह 'क'** अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरूष जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–I/समूह 'क'** के अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ?	

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(ix)	सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता–पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नही है ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नही की गई है, के पुत्र एवं पुत्रियों संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया जाता है :– माता–पिता की, वेतन तथा अन्य स्त्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक से निर्धारण किया जाय। यदि माता–पिता के वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्त्रोतों (वेतन एवं कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में कोई भी लगातार तीन वर्षों तक **6.00 लाख** रूपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियॉ संपन्न वर्ग के अंतर्गत माने जावेगे। किन्तु ऐसे माता–पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय भी **6.00 लाख** प्रतिवर्ष से कम है, के पुत्र एवं पुत्रियों को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से **6.00 लाख** प्रतिवर्ष से अधिक ही क्यों न हो, यह भी ध्यान रखा जाय कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नही गिना जावेगा ।
(x)	आय/संपत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिये गये	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि कार्यालय ज्ञापन की अन्य सूची की

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
	स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नही जायेगा ।" की व्याप्ति की सीमा तक है ?	श्रेणी–VI में दिये गये अनुसार किसी उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिये आय/संपत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय नही गिना जावेगा । इसका तात्पर्य यह है, कि यदि किसी उम्मीदवार के माता–पिता के वेतन से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये प्रति वर्ष से अधिक हो और कृषि भूमि से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये से अधिक हो किंतु अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये प्रतिवर्ष से कम हो तो आय/संपत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा बशर्ते के उसके माता–पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों के अवधि से संपत्ति कर अधिनियम यथा–निर्धारित सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

3/ कृपया, अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखने हेतु सक्षम अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 07/02/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

बेटी है तो कल है

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, / अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल / सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / सचिव, राज्य निर्दाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर ।
13. आयुक्त, पिछडा वर्ग कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव / मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 8–2/2013/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अवमानना प्रकरण क्र. 274/2013 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की विशेष भरती अभियान के तहत् समय–सीमा में पूर्ति बाबत्।

संदर्भः–सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 8–5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31 मार्च, 2005 तथा क्र. एफ 6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 10.07.2013.

––0––

माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा अवमानना प्रकरण क्रमांक 274/2013 नीलेश सिंघल एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में **दिनांक 28.11.2013** में निःशक्तजनों, विशेषकर दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित के पदों की पूर्ति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए **दिनांक 30 जून, 2014** तक निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत निःशक्तजनों को रोजगार देकर न्यायालय को **01 जुलाई, 2014** को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान की समय–सीमा समय–समय पर बढ़ाई जाती रही है और परिपत्र दिनांक 10 जुलाई, 2013 द्वारा पुनः यह समय–सीमा दिनांक **30 जून, 2014** तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है।

3/ उल्लेखनीय है कि सभी विभागों में निःशक्तजनों के लिए पदों का चिन्हांकन कर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों तथा नियोक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। यह कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति के लिए व्यापम के माध्यम से भरती करने की शर्त से छूट प्रदान करते

हुए वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाए। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(1) समस्त नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार मे निःशक्तजनों के आरक्षित पदों को वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति करें।

(2) इसके लिए समस्त नियोक्ता दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा अपने जिले के जिला रोजगार कार्यालय को सूचित करने के साथ ही निःशक्तजनों के लिए संचालित विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर को भी पत्र लिखकर पदों की जानकारी, उनकी योग्यता, पदों की संख्या एवं निःशक्तता की श्रेणी के साथ ही वाक–इन–इंटरव्यू की तिथि/समय/स्थान से अवगत कराएंगे।

(3) उक्त रोजगार कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि वह उनके कार्यालय में पंजीकृत ऐसे निःशक्तजनों को पत्र भेजकर अवगत कराएं जो संबंधित पदों की योग्यता रखते हैं।

(4) लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों/संवर्गों में निःशक्तजनों के आरक्षित पदों को वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से संविदा आधार पर ही नियुक्ति दी जाए। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष के लिए की जाए तथा नियुक्ति आदेश में यह भी टीप अंकित की जाए कि यह पद मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं अतः इस पर नियमित नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत् लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत ही हो सकेगी।

(5) विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन एवं रेडियो के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जाए, ताकि दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजनों को इसकी जानकारी मिल सकें।

(6) जो पद तीनों श्रेणियों के निःशक्तजनों के लिए आरक्षित है, उननें सर्वप्रथम दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु प्राथमिकता दी जाए।

(7) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निःशक्तजनों के लिए चलाये जा रहे विशेष भरती अभियान में सभी प्रवर्ग के पदों की पूर्ति की जाना है, निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

(8) जो निःशक्तजन नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण कर लेते है, उनकी सूचना संबंधित रोजगार कार्यालयों को देने की जिम्मेदारी नियोक्ता एवं संबंधित अभ्यर्थी की भी होगी।

(9) समस्त नियोक्ता उपरोक्तानुसार पदों की पूर्ति 30 मई, 2014 तक पूर्ण कर निःशक्तजनों के भरे गये पदों की जानकारी अपने विभागाध्यक्ष को देंगे तथा विभागाध्यक्ष अपने विभाग (मंत्रालय) को जानकारी निर्धारित प्रपत्र में देंगे। इस आधार पर समस्त विभाग एकजाई जानकारी **दिनांक 15 जून, 2014** तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

(10) समस्त रोजगार कार्यालय **दिनांक 15 जून, 2014** तक उनके कार्यालय में पंजीकृत निःशक्तजनों में से कितने अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी (तीनों श्रेणी के निःशक्तजन सहित) सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेंगे।

4/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई विभाग इन निर्देशों के पालन करने में कोताही करता है तो वह माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 8–2/2013/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
16. आयुक्त, उद्योग, विंध्याचल भवन, भोपाल।
17. आयुक्त, सामाजिक न्याय, 1250, तुलसी नगर, भोपाल।
18. आयुक्त, निःशक्तजन, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल।
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
20. उप संचालक, विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
21. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, मध्यप्रदेश।
22. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति संबंधी जानकारी

विभाग का नाम .....

पद / श्रेणी का नाम	दि. 01.12.13 के पूर्व से कार्यरत निःशक्तजनों की संख्या				दि. 01.12.13 के बाद नियुक्त निःशक्तजनों की संख्या				अन्य विवरण
	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सक्षम आधेकारी के हस्ताक्षर